

सं०-या/आरटीआई/655/सामान्य

Prashant Kumar Soni  
Old Income Tax Building,  
Azad Nagar, Lower Arniala, Una,  
Pin - 174303  
Himachal Pradesh.

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अर्न्तगत Mr. Prashant kumar Soni  
द्वारा सूचना की मांग।

संदर्भ:-आवेदक का आरटीआई पंजीकरण पत्र सं०-NERLY/R/E/21/00483 दि. 08.12..2021


आपके द्वारा मांगी गयी मद सं० 2 की सूचना निम्नवत है:-

- पूर्वोत्तर रेलवे में LHB यान द्वारा संचालित समस्त ट्रेन HOG Compliant है।
- कुछ ट्रेक सेक्शन Partially non-electrified होने के कारण उनपर चलने वाली ट्रेन पॉवर कार संचालित है। जैसे ही रूट पूर्ण विद्युतिकृत हो जायेगा, समस्त ट्रेनों को HOG पर चलाया जायेगा।

शेष मदों की सूचना इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। शेष मदों की सूचना हेतु परिचालन विभाग को पत्र के द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया है। जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

यदि दी गई सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो तीस दिन के अन्दर प्रथम अपीली अधिकारी मुख्य चल स्टाक इंजीनियर, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर-273012 को अपील कर सकते हैं।

सं०/01 प्रति

  
23/12/21

लोक सूचना अधिकारी

उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/ईएनएचएम

प्रतिलिपि:-केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी/गोरखपुर को उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।



लोक सूचना अधिकारी

उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/ईएनएचएम

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय

महप्रबन्धक(यांत्रिक)गोरखपुर

दिनांक 13.12.2021

सं0-या/आरटीआई/655/सामान्य

मुख्य विद्युत सर्विस इंजीनियर  
पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर।

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत Mr. Prashant kumar Soni  
द्वारा सूचना की मांग।

संदर्भ:-आवेदक का आरटीआई पंजीकरण पत्र सं0-NERLY/R/E/21/00483 दि. 08.12.2021

संदर्भित संलग्नक पत्र का अवलोकन करें, आवेदक द्वारा मांगी गयी मद सं0 02 की सूचना (एक सप्ताह) तत्काल देने की व्यवस्था करें। ताकि आवेदक को समय से सूचना दी जा सके।


सं0/01 प्रति

लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-

- 1.केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी/गोरखपुर को उपरोक्त के सम्बन्ध में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2.लोक सूचना अधिकारी/परिचालन/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर, आवेदक द्वारा मांगी गयी मद सं0 1, 3 एवं 4 की सूचना आपके विभाग से सम्बन्धित होने के कारण आरटीआई एक्ट-2005 के धारा 6(3) के प्रावधानों तहत आपके विभाग को स्थानान्तरित किया जाता है। अतः आवेदक को सूचना देते हुये सभी सम्बन्धित को सूचना देने की व्यवस्था करें।

सं0-01प्रति

  
लोक सूचना अधिकारी